**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 913**
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

# किशोरियों के लिए योजना

913. **श्रीमती रचना बनर्जीः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पश्चिम बंगाल में किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने एसएजी योजना के तहत सहायता के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कौशल प्रशिक्षण और विस्तार के लिए कोई रणनीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पश्चिम बंगाल में उक्त योजना के तहत प्रदान किए गए फोर्टिफाइड चावल और बाजरे के ब्यौरे सहित डिजिटल रूप से सशक्त आंगनवाड़ी केंद्रों और स्थापित की जा रही पोषण वाटिकाओं की संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण योजना का विस्तार करने के लिए कोई पोषण प्रावधान किया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

(क) से (ड.) 15वें वित्त आयोग में, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा किशोरियों के लिए पोषण सहायता के घटकों; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (3-6 वर्ष) तथा आधुनिक एवं उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत किशोरियों (एसएजी) के लिए योजना का उद्देश्य सभी राज्यों के आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों के सभी जिलों में किशोरियों (एजी) [14-18 वर्ष]

को उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत दो मुख्य घटक हैं। पोषण घटक के तहत, 14-18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को एक वर्ष में 300 दिनों के लिए 600 कैलोरी, 18-20 ग्राम प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। गैर-पोषण घटक आईएफए अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल आदि के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ अभिसरण पर आधारित है।

दिनांक 31.12.2024 तक कुल 24,08,074 किशोरियों को पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किशोरियों के लिए योजना लागू नहीं की जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत पूरक पोषण एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 300 दिनों के लिए अर्थात् औसतन एक महीने में 25 दिनों के लिए पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम) और घर ले जाने के लिए राशन के रूप में प्रदान किया जाता है।

स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने तथा एनीमिया के प्रबंधन के लिए योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में स्थानीय आहार सामग्री और ताजा उपज (हरी सब्जियां, फल, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां), फोर्टिफाइड चावल और मिलेट्स, मेवे और मूंगफली तथा तिल के बीज जैसे तिलहन को सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। घर ले जाने के लिए राशन (कच्चा राशन नहीं) और पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम) के लिए खाद्य सामग्री राज्यों हेतु विशिष्ट हैं और इसमें स्थानीय रूप से उगाए गए/उपलब्ध पौष्टिक फल और सब्जियां शामिल हैं।

चूंकि किशोरियों के लिए योजना पश्चिम बंगाल राज्य में लागू नहीं की जा रही है इसलिए वित्त वर्ष 2024-25 में उक्त योजना के तहत कोई खाद्यान्न आवंटित नहीं किया गया है। इसके अलावा, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान पश्चिम बंगाल को कुल 252336.17 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया गया है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन के प्रावधान के साथ तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। यह ऑनलाइन प्रणाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों का डिजिटलीकरण करती है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही उन्हें आंगनवाड़ी की सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए अधिक समय मिलता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के अलावा पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को भी स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को डेटा रिचार्ज सहायता दी जाती है। मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को

4जी/5जी सपोर्ट वाले 'उच्च गुणवत्ता वाले डिवाइस/स्मार्टफोन' खरीदने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक कोई स्मार्टफोन नहीं खरीदा है।

कुपोषित बच्चों की पहचान करने और समय पर कार्यकलाप करने के लिए विकास मापदंडों की नियमित निगरानी आवश्यक है। इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को इन्फैंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, शिशु वजन मापने वाला पैमाना, माता एवं शिशु वजन मापने वाला पैमाना जैसे विकास निगरानी उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। आज तक, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1,19,481 जीएमडी खरीदे गए हैं।

15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को बेहतर पोषण प्रदायगी और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है जिसमें एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन को लगाना, पोषण वाटिका, ईसीसीई और बाला पेंटिंग शामिल हैं। आज तक पूरे देश में सभी 2 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में उन्नत करने के लिए मंजूरी दी गई है जिनमें से 5,359 आंगनवाड़ी केन्द्र पश्चिम बंगाल राज्य में हैं।

*******